

पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
मांग संख्या 23
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2022-2023			बजट 2023-2024			संशोधित 2023-2024			बजट 2024-2025		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	777.43	341.28	1118.71	1798.75	4093.25	5892.00	1798.75	4093.25	5892.00	2040.68	3859.32	5900.00
<i>वसूलियां</i>	-123.76	-5.00	-128.76
<i>प्राप्तियां</i>
निवल	653.67	336.28	989.95	1798.75	4093.25	5892.00	1798.75	4093.25	5892.00	2040.68	3859.32	5900.00
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	30.00	...	30.00	30.38	0.95	31.33	31.22	0.95	32.17	31.74	0.60	32.34
	-0.07	...	-0.07
<i>निवल</i>	<i>29.93</i>	<i>...</i>	<i>29.93</i>	<i>30.38</i>	<i>0.95</i>	<i>31.33</i>	<i>31.22</i>	<i>0.95</i>	<i>32.17</i>	<i>31.74</i>	<i>0.60</i>	<i>32.34</i>
केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं												
पूर्वोत्तर परिषद की स्कीमें												
2. पूर्वोत्तर परिषद की स्कीम	369.73	0.50	370.23	757.80	42.20	800.00	757.80	42.20	800.00	990.63	9.37	1000.00
	-0.06	...	-0.06
<i>निवल</i>	<i>369.67</i>	<i>0.50</i>	<i>370.17</i>	<i>757.80</i>	<i>42.20</i>	<i>800.00</i>	<i>757.80</i>	<i>42.20</i>	<i>800.00</i>	<i>990.63</i>	<i>9.37</i>	<i>1000.00</i>
पूर्वोत्तर और सिक्किम के लिए केन्द्रीय संसाधन पूल												
3. पूर्वोत्तर क्षेत्र विशेष अवसंरचना विकास स्कीम (एनईएसआईडीएस)												
3.01 एनईएसआईडीएस कार्यक्रम	219.43	...	219.43	44.90	2446.10	2491.00	44.06	2446.10	2490.16	38.81	2341.85	2380.66
3.02 पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम	0.45	...	0.45
3.03 पूर्वोत्तर एवं सिक्किम के लिए केन्द्रीय संसाधन पूल	109.76	128.73	238.49
<i>जोड़- पूर्वोत्तर क्षेत्र विशेष अवसंरचना विकास स्कीम (एनईएसआईडीएस)</i>	<i>329.64</i>	<i>128.73</i>	<i>458.37</i>	<i>44.90</i>	<i>2446.10</i>	<i>2491.00</i>	<i>44.06</i>	<i>2446.10</i>	<i>2490.16</i>	<i>38.81</i>	<i>2341.85</i>	<i>2380.66</i>
पूर्वोत्तर क्षेत्र सड़क परियोजनाएं												
4. पूर्वोत्तर राज्य सड़क पीएमयू (एडीबी से सहायता प्राप्त)												
4.01 परियोजना प्रबंधन इकाई	0.09	...	0.09
5. पूर्वोत्तर सड़क क्षेत्र विकास स्कीम												
5.01 कार्यक्रम घटक	...	0.19	0.19
5.02 ईएपी घटक	28.28	...	28.28

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2022-2023			बजट 2023-2024			संशोधित 2023-2024			बजट 2024-2025		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
जोड़- पूर्वोत्तर सड़क क्षेत्र विकास स्कीम	28.28	0.19	28.47
जोड़-पूर्वोत्तर क्षेत्र सड़क परियोजनाएं	28.37	0.19	28.56
विशेष विकास पैकेज												
6. बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद	6.42	...	6.42
7. कार्बी आंगलोंग स्वायत्त प्रादेशिक परिषद	1.55	...	1.55
8. दीमा हसाओ प्रादेशिक परिषद	2.00	...	2.00
	-106.04	...	-106.04
<i>निवल</i>	<i>-104.04</i>	...	<i>-104.04</i>
जोड़-विशेष विकास पैकेज	-96.07	...	-96.07
9. पूर्वोत्तर उद्यम विकास स्कीम (नीडस) पूर्ववर्ती पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम को ऋण	...	50.00	50.00	...	60.00	60.00	...	60.00	60.00	...	70.00	70.00
10. सामाजिक और अवसंरचनागत विकास निधि	...	5.00	5.00
	...	-5.00	-5.00
<i>निवल</i>
11. विशेष विकास पैकेज												
11.01 बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद (बीटीसी) के लिए विशेष पैकेज	100.00	...	100.00	100.00	...	100.00	250.00	...	250.00
11.02 कार्बी आंगलोंग (केएएटीसी) के लिए विशेष पैकेज	100.00	...	100.00	100.00	...	100.00	50.00	...	50.00
11.03 दिमा हासाओ (डीएचएटीसी) के लिए विशेष पैकेज	3.96	...	3.96	100.00	...	100.00	100.00	...	100.00	60.00	...	60.00
<i>जोड़- विशेष विकास पैकेज</i>	<i>3.96</i>	...	<i>3.96</i>	<i>300.00</i>	...	<i>300.00</i>	<i>300.00</i>	...	<i>300.00</i>	<i>360.00</i>	...	<i>360.00</i>
12. प्रधान मंत्री पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास पहल (पीएम-डेव आईएनई)	0.09	121.10	121.19	660.00	1540.00	2200.00	660.00	1540.00	2200.00	619.50	1435.50	2055.00
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं	635.66	300.52	936.18	1762.70	4088.30	5851.00	1761.86	4088.30	5850.16	2008.94	3856.72	5865.66
केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय												
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम												
13. पूर्वोत्तर क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम	5.67	...	5.67	5.67	2.00	7.67	5.67	2.00	7.67
	-17.59	...	-17.59
<i>निवल</i>	<i>-11.92</i>	...	<i>-11.92</i>	<i>5.67</i>	<i>2.00</i>	<i>7.67</i>	<i>5.67</i>	<i>2.00</i>	<i>7.67</i>
14. पूर्वोत्तर हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम लि.	...	2.00	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00	2.00
15. पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पीजीसीआई)	...	33.76	33.76
जोड़-सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	-11.92	35.76	23.84	5.67	4.00	9.67	5.67	4.00	9.67	...	2.00	2.00
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय	-11.92	35.76	23.84	5.67	4.00	9.67	5.67	4.00	9.67	...	2.00	2.00
कुल जोड़	653.67	336.28	989.95	1798.75	4093.25	5892.00	1798.75	4093.25	5892.00	2040.68	3859.32	5900.00
ख. विकास शीर्ष सामान्य सेवाएं												

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2022-2023			बजट 2023-2024			संशोधित 2023-2024			बजट 2024-2025		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
1. सचिवालय-सामान्य सेवाएं	29.93	...	29.93	30.38	...	30.38	31.22	...	31.22	31.74	...	31.74
2. अन्य प्रशासनिक सेवाएं	19.52	...	19.52	28.26	...	28.26	28.26	...	28.26	29.33	...	29.33
3. अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	2.20	2.20	...	2.20	2.20	...	4.37	4.37
4. विविध सामान्य सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	0.95	0.95	...	0.95	0.95	...	0.60	0.60
जोड़-सामान्य सेवाएं	49.45	...	49.45	58.64	3.15	61.79	59.48	3.15	62.63	61.07	4.97	66.04
आर्थिक सेवाएं												
5. ग्राम और लघु उद्योगों के लिए ऋण	...	2.00	2.00	...	4.00	4.00	...	4.00	4.00	...	2.00	2.00
6. उद्योगों और खनिजों को अन्य ऋण	...	50.00	50.00	...	60.00	60.00	...	60.00	60.00	...	70.00	70.00
जोड़-आर्थिक सेवाएं	...	52.00	52.00	...	64.00	64.00	...	64.00	64.00	...	72.00	72.00
अन्य												
7. पूर्वोत्तर क्षेत्र	671.56	...	671.56	1740.11	...	1740.11	1739.27	...	1739.27	1979.61	...	1979.61
8. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	-67.34	...	-67.34
9. पूर्वोत्तर क्षेत्रों में पूंजीगत परिव्यय	...	284.28	284.28	...	4026.10	4026.10	...	4026.10	4026.10	...	3782.35	3782.35
जोड़-अन्य	604.22	284.28	888.50	1740.11	4026.10	5766.21	1739.27	4026.10	5765.37	1979.61	3782.35	5761.96
कुल जोड़	653.67	336.28	989.95	1798.75	4093.25	5892.00	1798.75	4093.25	5892.00	2040.68	3859.32	5900.00

(₹ करोड़)

	बजट सहायता			बजट सहायता			बजट सहायता			बजट सहायता		
	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़
ग. सार्वजनिक उद्यम में निवेश												
1. पूर्वोत्तर क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लि0	...	1.89	1.89	7.67	1.50	9.17	7.67	1.50	9.17	...	2.00	2.00
2. पूर्वोत्तर हथकरघा और हस्तशिल्प निगम विकास लि0	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00	2.00	3.00	5.00	2.00	5.19	7.19
जोड़	2.00	1.89	3.89	9.67	1.50	11.17	9.67	4.50	14.17	2.00	7.19	9.19

1. **सचिवालय:** मंत्रालय के सचिवालय के व्यय के लिए प्रावधान।

2. **पूर्वोत्तर परिषद की स्कीम:** ये योजनाएं सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र के आठ राज्यों के एकीकृत सामाजिक-आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए हैं। इनका उद्देश्य, अन्य बातों के साथ-साथ, महत्वपूर्ण अंतर पाटने की जरूरत वाले क्षेत्रों को शामिल करके पूर्वोत्तर क्षेत्र का संतुलित विकास करना है। इस प्रावधान में पूर्वोत्तर परिषद, शिलांग के सचिवालय का व्यय भी शामिल है। एनईसी

पूर्वोत्तर क्षेत्र की राज्य सरकारों को बांस, सूअर पालन, क्षेत्रीय पर्यटन, उच्च शिक्षा, तृतीयक स्वास्थ्य सेवा, टेलीमेडिसिन, एनईआर में विज्ञान और प्रौद्योगिकी हस्तक्षेप आदि जैसे क्षेत्रों के विकास के लिए सहायता अनुदान देती है। एनईसी-एसडीपी की योजनाओं के तहत चल रही परियोजनाओं की प्रतिबद्ध देयताएं एनईसी की योजनाओं के तहत पूरी की जाएंगी।

3.01. **एनईएसआईडीएस कार्यक्रम:** यह प्रावधान नॉर्थ ईस्ट स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम (एनईएसआईडीएस) के लिए है, जिसे 04.01.2023 को कैबिनेट द्वारा अनुमोदित किया गया था ताकि जल आपूर्ति, बिजली, कनेक्टिविटी -विशेषकर पर्यटन को बढ़ावा देने वाली परियोजनाओं; और शिक्षा और स्वास्थ्य के प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रों में अवसंरचना के निर्माण के लिए सामाजिक क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास सुनिश्चित किया जा सके।

3.02. **पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम:** ईएफसी की सिफारिश के अनुसार, इस उप-योजना को बंद कर दिया गया है। चालू परियोजनाओं की देनदारी अब 2022-23 से एनईएसआईडी योजना में प्रावधानित है।

3.03. **पूर्वोत्तर एवं सिक्किम के लिए केंद्रीय संसाधन पूल:** व्यपगत न होने योग्य केंद्रीय संसाधन पूल (एनएलसीपीआर) का व्यापक उद्देश्य क्षेत्र में विशिष्ट व्यवहार्य अवसंरचना परियोजनाओं/योजनाओं के लिए बजटीय वित्तपोषण के प्रवाह को बढ़ाकर पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम में अवसंरचना का तेजी से विकास सुनिश्चित करना है। यह केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों को पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) में परियोजनाओं/योजनाओं को वित्त पोषित करने और 10 प्रतिशत अनिवार्य निर्धारण के माध्यम से उनके द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं के अलावा एनईआर में क्षेत्रीय और/या राष्ट्रीय प्राथमिकताओं की योजनाओं/परियोजनाओं को लागू करने में भी सक्षम बनाता है। यह प्रावधान केवल चालू परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए है। ईएफसी की सिफारिशों के अनुसार, एनएलसीपीआर को नॉर्थ ईस्ट स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम (एनईएसआईडीएस) में मिला दिया गया है।

4. **पूर्वोत्तर राज्य सड़क पीएमयू (एडीबी से सहायता प्राप्त):** यह योजना (एनईआरएसडीएस)-ईएपी एनईआर में अंतर्राज्यीय उपेक्षित सड़कों के पुनःस्थापन/निर्माण/उन्नयन के लिए है। एनईआरएसडीएस-ईएपी मार्च, 2023 तक पूरी हो जाएगी। इसलिए 2023-24 में कोई प्रावधान नहीं रखा गया है।

5.01. **कार्यक्रम घटक:** योजना (एनईआरएसडीएस)-कार्यक्रम एनईआर में अंतर्राज्यीय उपेक्षित सड़कों के पुनःस्थापन/निर्माण/उन्नयन के लिए है। ईएफसी सिफारिश के अनुसार योजना के एनईएसआईडीएस (सड़क) घटक के रूप में इस योजना को एनईएसआईडी योजना के साथ विलय कर दिया गया है।

5.02. **ईएपी घटक:** यह प्रावधान पूर्वोत्तर राज्य सड़क निवेश कार्यक्रम (एनईएसआरआईपी) के लिए है, जो पूर्वोत्तर क्षेत्र में सड़कों के निर्माण/उन्नयन के लिए एक एडीबी सहायता प्राप्त परियोजना है। यह योजना 2022-23 में समाप्त हो जाएगी।

6. **बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद:** यह एक विशेष विकास पैकेज है जिसके माध्यम से इस क्षेत्र की अवसंरचनागत एवं विकास परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए अनुदान प्रदान किया जाता है।

7. **कार्बी आंगलॉग स्वायत्त प्रादेशिक परिषद:** यह एक विशेष विकास पैकेज है जिसके माध्यम से इस क्षेत्र की अवसंरचनागत एवं विकास परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए अनुदान प्रदान किया जाता है।

8. **दीमा हसाओ प्रादेशिक परिषद:** यह एक विशेष विकास पैकेज है जिसके माध्यम से इस क्षेत्र की अवसंरचनागत एवं विकास परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए अनुदान प्रदान किया जाता है।

9. **पूर्वोत्तर उद्यम विकास स्कीम (नीडस) पूर्ववर्ती पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम को ऋण:** पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम लि. (नेडफी) जिसका पंजीकृत कार्यालय गुवाहाटी में है, को 9 अगस्त 1995 को कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत सार्वजनिक वित्तीय संस्थान के रूप में निगमित किया गया था। नेडफी का उद्देश्य इस क्षेत्र में पर्यावरण अनुकूल अर्थक्षम औद्योगिक अवसंरचनागत एवं कृषि-उद्यानिकी परियोजनाओं की पहचान, वित्तपोषण और संवर्धन द्वारा इस क्षेत्र में आर्थिक विकास की गति को तेज करना है। इसका नाम बदलकर उत्तर पूर्व उद्यम विकास योजना (नीडस) कर दिया गया है। यह प्रावधान नेडफी को दीर्घकालिक सरल ऋण प्रदान करने के लिए किया गया है।

12. **प्रधान मंत्री पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास पहल (पीएम-डेव आईएनई):** पीएम-डेवाइन का कार्यान्वयन पूर्वोत्तर परिषद/केंद्रीय प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों के माध्यम से पूर्वोत्तर की अनुभूत आवश्यकताओं पर आधारित पीएम गतिशक्ति, और सामाजिक विकास परियोजनाओं की भावना से प्रेरित होकर अवसंरचना के वित्तपोषण के लिए किया जाता है। यह योजना विभिन्न क्षेत्रों में कमियों को दूर करते हुए युवाओं और महिलाओं के लिए आजीविका गतिविधियों को संभव बनाएगी।

13. **पूर्वोत्तर क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम:** पूर्वोत्तर क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड (नेरामेक) एक केंद्रीय लोक उपक्रम है जो पूर्वोत्तर क्षेत्र में कृषि एवं बागवानी उत्पादों के खाद्य प्रसंस्करण एवं व्यापार को बढ़ावा देने का कार्य करता है। यह प्रावधान इसके व्यापार क्रियाकलापों के लिए निगम द्वारा कार्यशील पूंजी का उपयोग करने के लिए और 18 अगस्त, 2021 को कैबिनेट द्वारा अनुमोदित पूर्वोत्तर क्षेत्रीय कृषि विपणन लिमिटेड (नेरामेक) के पुनरुद्धार के लिए व्यय को पूरा करने के लिए भी किया जाता है।

14. **पूर्वोत्तर हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम लि.:** पूर्वोत्तर हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम (एनईएचएचडीसी) को मार्च 1977 में इस क्षेत्र के निर्मित उत्पादों के उत्पाद तथा डिजाइन विकास, प्रशिक्षण एवं प्रौद्योगिकी उन्नयन तथा उत्पादों के विपणन के लिए विकासात्मक एवं संवर्धनात्मक इन्पुट उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किया गया था। मंत्रालय प्रदर्शनियों में भागीदारी आदि जैसे संवर्धनात्मक क्रियाकलापों में होने वाली नकद हानि की भरपाई के लिए एनईएचएचडीसी को ऋण मुहैया कराता है।